छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ:

माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, जे.

प्रथम अपील संख्या 135/2005

चन्द्रशेखर साहू

बनाम

भगवती देवी

श्री रतन पुष्ठी, अपीलकर्ता के अधिवकता ।

श्री बी.पी. शर्मा, प्रतिवादी के अधिवकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(आज दिनांक 29 जनवरी, 2007 को उद्घोषित गया)

सिविल वाद क्रमांक 42-ए/2003 में पंचम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रायपुर द्वारा दिनांक 21.4.2005 को पारित निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर, जिसमें वादी को 70,000/- रूपये की हर्जाने के साथ निर्णय की तिथि से वसूली तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने का आदेश दिया गया था के विरुद्ध, प्रतिवादी ने यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

2.यह स्वीकार किया जाता है कि वादी के पास ग्राम बेंदरी, पटवारी हल्का नं. 135, तहसील अभनपुर, जिला रायपुर में कृषि भूमि खसरा नं. 106/7 और 120/11 कुल 5.176 हेक्टेयर है (जिसे आगे वाद भूमि कहा जाएगा) और उसने वर्ष 1999-2000 में उसमें धान बोया था।

3.वादी ने अभिवचन किया था कि दिनांक 25.11.1999 को जब उसका बेटा वादग्रस्त भुमि पर कटाई कर रहा था, तो प्रतिवादी ने उसे ऐसा करने से इस आधार पर रोका कि भुमि पवन कुमार अग्रवाल ने उसे पट्टे पर दी थी, और वादग्रस्त भुमि पर खड़ी 70,000 रुपये (यानी 300 रुपये प्रति बोरी की दर से) की कीमत की 200 बोरी धान की फसल जबरन काट ली। वादी ने दिनांक 27.11.1999 को पुलिस थानाअभनपुर में प्रदर्श -पी /2 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई। वादी ने इस आधार पर 76,900 रुपये का हर्जाना और 1.5% प्रति माह की दर से ब्याज का दावा किया।

4.प्रतिवादी ने वादग्रस्त भूमि पर खड़ी धान की फसल काटे जाने से स्पष्ट रूप से इनकार किया। उसने अभिवचन किया कि उसने पवन कुमार अग्रवाल नामक व्यक्ति से पट्टे पर ज़मीन ली थी और उस पर धान बोया था और कटाई का काम किया था, जिसके विरुद्ध वादी ने अभनपुर थाने में झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। यह भी अभिवचन दी गई कि पवन कुमार अग्रवाल के साथ तनावपूर्ण संबंधों के कारण वादी ने अपीलकर्ता को झूठा फंसाया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5.वादी ने अपने पुत्र श्रीश चंद्र अग्रवाल (वादी साक्षी-1) के पक्ष में निष्पादित आम मुख्तारनामा प्रदर्श. पी-1 और पुलिस थाना, अभनपुर में दिनांक 27.11.1999 को दर्ज कराई गई शिकायत प्रदर्श. पी-2 को प्रमाणित किया और श्रीश चंद्र अग्रवाल (वादीसाक्षी-1) और गवाह हेमलाल (वादीसाक्षी-2), पटवारी कन्हाई सिंह (वादीसाक्षी-3) और पुनू राम (वादीसाक्षी-4) का भी परीक्षण किया। प्रतिवादी ने स्वयं और गवाह पवन कुमार अग्रवाल (प्रतिवादी साक्षी-2) का भी परीक्षण किया था ।

6. विद्वान विचारण न्यायलय ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की विवेचन करते हुए यह पाया कि प्रतिवादी ने लिखित कथन या अपने साक्ष्य में इस बात से स्पष्ट रूप से इनकार नहीं किया कि उसने 25.11.1999 को वादग्रस्त भूमि से फसलें काटी थीं। इस आधार पर, विद्वान विचारण न्यायलय कण्डिका-12 में इस निष्कर्ष पर पहुँची कि विशिष्ट इनकार के अभाव में, यह तथ्य कि प्रतिवादी ने 25.11.1999 को वादग्रस्त भूमि पर खड़ी धान की फसलें काटी थीं, एक स्वीकृत तथ्य है। न्यायलय ने यह भी निषकर्ष दिया कि वादी ने पटवारी कन्हाई सिंह (वादीसाक्षी-3) से पूछताछ करके और अनावारी प्रतिवेदन प्रदर्श. पी-7 पेश करके यह साबित कर दिया था कि वादग्रस्त भूमि पर 200 बोरी धान उगाया गया था, जो तथ्य भी पूरी तरह से अखंडित था। कण्डिका 13 के अंत में यह भी निषर्क्ष दिया गया कि वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य निर्विवाद रूप से यह सिद्ध करते हैं कि वादी को वर्ष 1999-2000 में वादग्रस्त भूमि पर उगाए गए 200 बोरी धान का नुकसान हुआ था। हालाँकि पटवारी कन्हाई सिंह (वादीसाक्षी-3) ने यह कथन दिया था कि 1999-2000 में वादग्रस्त भूमि पर लगभग 180 बोरी धान की फसल हुई होगी, फिर भी विद्वान अधिनस्थ न्ययालय ने 200 बोरी धान के लिए 350 रुपये प्रति बोरी की दर से क्षतिपूर्ति का आदेश दिया और निर्णय की तिथि से वसूली तक 70,000 रुपये पर 1.5% प्रति माह की दर से ब्याज भी दिया, जबकि कण्डिका 15 में दोहराया कि प्रतिवादी द्वारा अपनी गवाही में स्पष्ट इनकार के अभाव में, यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादी ने वर्ष 1999-2000 में मुकदमे की जमीन से 200 बोरी धान की फसल काट ली थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7.अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री रतन पुष्ठी ने यह तर्क दिया है कि विद्वान अधिनस्थ न्ययालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत और अभिलेख पर मौजूद अभिपयनो और साक्ष्यों के विपरीत थे। वादी की कण्डिका 4 में दी गई गवाही कि प्रतिवादी ने दो दिनों तक धान की फसल काटी थी, प्रतिवेदन प्रदर्श पी-2 द्वारा पुष्ट नहीं की गई। दिनांक

27.11.1999 को पुलिस थाना अभनपुर में दर्ज एक्स पी-2 रिपोर्ट में वादी ने उल्लेख किया था कि पुलिस थाना अभनपुर के थाना प्रभारी श्री संतोष दुबे दिनांक 25.11.1999 को वादग्रस्त भुमिपर मौजूद थे और उनकी देखरेख में पूरी फसल कट गई थी। हालांकि, वादी द्वारा इस आशय का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। तर्क दिया गया कि प्रतिवेदन प्रदर्श पी-2 के कण्डिका 2 में, इस बात का कोई उल्लेख नहीं था कि प्रतिवादी चंद्रशेखर साहू ने धान की फसल काटी थी। यह भी तर्क दिया गया कि पटवारी कन्हाई सिंह (वादीसाक्षी-3) ने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था पी-7, वादी या पवन कुमार अग्रवाल का नाम यह प्रतिवादी का उल्लेख नहीं किया गया था और उसे 1999-2000 में वादग्रस्त की भूमि पर धान की फसल की उपज के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी। यह भी तर्क दिया गया कि श्रीश चंद्र अग्रवाल (वादीसाक्षी -1) ने अपनी गवाही के कण्डिका 9 में वर्ष 1999-2000 में वादग्रस्त की भूमि पर उनके द्वारा किए गए कृषि कार्यों का कोई विवरण देने में विफल रहे। चूंकि प्रतिवादी ने लिखित कथन के कण्डिका 2 में वाद के आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन किया था और अपनी गवाही के कण्डिका 4 में स्पष्ट रूप से कहा था कि उसने खसरा संख्या 106/7 और 120/11 पर कोई कृषि कार्य नहीं किया था, इसलिए विद्वान अधिनस्थ न्ययालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि विशिष्ट खंडन के अभाव में प्रतिवादी द्वारा वाद में की गई दलीलों को स्वीकार कर लिया गया था, पूरी तरह से विधि के विपरीत था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8.इसके विपरीत, प्रतिवादी/वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.पी. शर्मा ने संतोष हजारी बनाम पुरुषोत्तम तिवारी; 2000 (3) एससीसी 179 का हवाला देते हुए तर्क दिया कि चूँकि विद्वान अधिनस्थ न्ययालय ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विस्तार से विचार किया है और वादी के पक्ष में डिक्री देने के लिए ठोस कारण दिए हैं, इसलिए अपीलीय न्यायलय को अधिनस्थ न्ययालय द्वारा तथ्यों गए पर दिए गए निष्कर्ष तथ्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह भी तर्क दिया गया कि दीवानी मामलों का निर्णय

प्रबलता की प्रधानता के आधार पर होता है और जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि विद्वान अधिनस्थ न्ययालय का दृष्टिकोण विरोधाभासी है, तब तक उसे ही मान्य माना जाना चाहिए और प्रथम अपील में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

9. प्ररस्पर विरोधी तर्को पर विचार करने के पश्चात्, मैंने व्यवहार वाद संख्या 42-ए/2003 के अभिलेख का अत्यंत सावधानी से अवलोकन किया है।

10. सर्वप्रथम यह कहा जाना चाहिए कि विद्वान अधिनस्थ न्ययालय ने यह इस गलत उपधारणा पर विचार किया कि प्रतिवादी द्वारा वाद ग्रस्त भूमि पर दिनांक 25.11.1999 की फसल काट जाने का विशिष्ट रूप से खंडन नहीं किया गया हैं । लिखित कथन के कण्डिका 2 के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रतिवादी ने उस संबंध में वादी की दलीलों को विशिष्ट रूप से खंडन किया था। इसी तरह, अपनी गवाही के कण्डिका 4 में प्रतिवादी ने यह प्रमाणित किया कि उसने वादस्तस्त भुमि पर कोई कृषि कार्य नहीं किया था। इस मामले को देखते हुए, जिस आधार पर विद्वान अधिनस्थ न्ययालय ने वादी के गवाहों के साक्ष्य को एक सत्य के रूप में स्वीकार किया था, वह ध्वस्त हो गया है। लिखित कथन के कण्डिका 2 में प्रतिवादी द्वारा वादपत्र के अभिवचनों को विशिष्ट रूप से खंडन किए जाने की दृष्टि व्य.प्र.सं के आदेश 8 नियम 5(1) के तहत विद्वान अधिनस्थ न्ययालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष कि प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भुमि पर धान की फसल काटने का आरोप एक स्वीकृत तथ्य था, पूरी तरह से गलत था और अधिवचनों के विधि के विपरीत था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11.वादी ने अपने और श्रीश चंद्र अग्रवाल (वादीसाक्षी-1) द्वारा पुलिस थाना, अभनपुर में दर्ज कराई गई शिकायत प्रदर्श. पी-2 को साबित कर दिया है। इसमें किसी भी तरह से यह उल्लेख नहीं है कि प्रतिवादी ने 25.11.1999 को वादग्रस्त भूमि पर खड़ी धान **की**

फसल कटवाई थी। इसके विपरीत, इसमें उल्लेख है कि संतोष दुबे, थाना प्रभारी, पुलिस थाना अभनपुर ने अपनी व्यक्तिगत देखरेख में दिनांक 25.11.1999 को वायस्तस्त भूमि पर धान की पूरी फसल कटवाई थी। न तो श्रीश चंद्र अग्रवाल (वादीसाक्षी-1) और न ही उनके गवाह हेमलाल (वादीसाक्षी-2) या पुनू राम (वादीसाक्षी-4) ने संतोष दुबे, थाना प्रधारी, पुलिस थाना अभनपुर की दिनांक 25.11.1999 को मुख्य परीक्षण भूमि पर उपस्थिति के बारे में बताया है, जिससे प्रतिवेदन प्रदर्श. पी-2 पूरी तरह से गलत साबित होती है।

12. प्रवर्थ -2 की शिकायत में आगे स्पष्ट आरोप लगाया गया है कि फसलें दिनांक 25.11.1999 को ही काटी गईं। हालाँकि, श्रीश चंद्र अग्रवाल वादी साक्षी-1 ने कण्डिका 4 में कहा है कि जो फसलें खड़ी थीं, वादग्रस्त भुमिपर दो दिनों के भीतर फसल काट दी गई थी। गवाही के इस हिस्से की पुष्टि वादी के गवाह पुनू राम (वादीसाक्षी-4) ने नहीं की है, जिन्होंने कहा कि फसल केवल एक ही दिन काटी गई थी। उनकी गवाही कि वादग्रस्त भुमि पर धान की फसल, जो लगभग 13 एकड़ क्षेत्र में थी, एक दिन में छह मजदूरों द्वारा काटी गई थी, विश्वास पैदा नहीं करती है क्योंकि यह असंभव है। यद्यपि पुनू राम (वादीसाक्षी-4) ने कहा कि प्रतिवादी के साथ 6-7 व्यक्ति थे, फिर भी ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं बताया गया। इसी तरह, हालांकि श्रीश चंद्र अग्रवाल (वादीसाक्षी-1) ने कण्डिका 3 में कहा था कि घटना के दिन वह वादग्रस्त भुमि पर खड़ी फसलों की कटाई कर रहे थे, फिर भी पुनू राम (वादीसाक्षी-4) ने कहा है कि श्रीश चंद्र अग्रवाल घटनास्थल पर अकेले थे। यह भी ध्यान देने योग्य है कि हेमलाल (वादीसाक्षी-2) जो घटना के दिन वादग्रस्त भुमिपर मौजूद थे, उन्होंने भी यह नहीं कहा कि प्रतिवादी ने वादग्रस्त भुमिपर खड़ी फसलों को काटा था। उन्होंने केवल इतना ही कथन दिया कि प्रतिवादी वाद ग्रस्त ज़मीन पर आया और वादी से कहा कि वह फ़सल न काटे क्योंकि उसने ज़मीन पवन कुमार अग्रवाल से ली थी। इस तथ्य को देखते हुए कि रिपोर्ट प्र. पी-2 में लगाए गए आरोप वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पुष्ट नहीं होते, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

13. जहाँ तक विद्वान अधिनस्थ न्ययालय द्वारा दिए गए हर्जाने की राशि का सवाल है, उसने पटवारी कन्हाई सिंह (साक्षी-3) की गवाही पर पूरा भरोसा किया है। हालाँकि, विद्वान अधिनस्थ न्ययालय का निष्कर्ष पूरी मुख्य परिक्षण से गलत था क्योंकि उसने पटवारी कन्हाई सिंह की मुख्य परीक्षण में दी गई गवाही को नज़रअंदाज़ कर दिया, जिसमें उसने स्वीकार किया था कि उसे भुमि की पैदावार के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी। वर्ष 1999-2000 में वादग्रस्त भूमि पर धान की फसलें उगाई गईं और अनावारी प्रतिवेदन प्रदर्श.पी-7 में वादग्रस्त भूमि का कोई उल्लेख नहीं किया गया।

14.श्रीश चंद्र अग्रवाल (वादीसाक्षी-1) ने कण्डिका 3 में कहा है कि घटना के समय उन पर हमला हुआ था, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उन पर हमला किसने किया। उनकी शिकायत प्रदर्श, प्र. पी-2 में भी ऐसा कोई तथ्य नहीं दिया गया है। किसी अन्य गवाह ने उनकी बात की पुष्टि नहीं की है। श्रीश चंद्र अग्रवाल वर्ष 1999-2000 में वादग्रस्त भूमि पर अपने द्वारा किए गए कृषि कार्यों के बारे में भी मुख्य परीक्षण में कोई विवरण देने में विफल रहे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. अभिलेख में इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि धान के कितने ढेर काटे गए और उन्हें किस तरह से वादग्रस्त भुमि से और किसके द्वारा हटाया गया? श्रीश चंद्र अग्रवाल (वादीसाक्षी-1) की गवाही कहीं भी यह नहीं दर्शाती है कि प्रतिवादी ने वादग्रस्त भुमि पर खड़ी धान की फसल को काटने के लिए किसी मजदूर को नियुक्त किया था। इस प्रकार यह इनकार नहीं किया जा सकता है कि वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई। वादी द्वारा पेश किए गए साक्ष्य न केवल अविश्वसनीय हैं, बल्कि प्रतिवेदन प्रदर्श. पी-2 के साथ अत्यधिक विरोधाभासी हैं। वर्तमान प्रकृति के वादग्रस्त में, वादी को ठोस

साक्ष्य पेश करके प्रतिवादी द्वारा उसके खेत से हटाए गए धान के ढेरों की सही संख्या और वह तरीका स्थापित करना आवश्यक था जिससे भारी मात्रा में धान के ढेर, जिनसे लगभग 200 बोरी धान उग सकता था, वादग्रस्त भुमि से कारा जा सके। विद्वान अधिनस्थ न्ययालय ने साक्ष्य के पूर्णतः गलत विवेचन न तथा इस पूर्णतः गलत धारणा के आधार पर कि लिखित कथन में या प्रतिवादी के साक्ष्य में कोई विशिष्ट खंडन नहीं था, पूर्णतः गलत निष्कर्ष पर पहुंची कि वादी अपना मामला साबित करने में सफल हो गया है।

16.यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि प्रतिवादी ने कण्डिका 4 में वादग्रस्त भूमि पर किसी भी प्रकार की कृषि कार्य करने से स्पष्ट रूप से इनकार किया था, फिर भी प्रतिवादी से मुख्य परीक्षण में यह प्रश्न नहीं पूछा गया कि उसने वादग्रस्त भूमि पर 200 बोरी चावल की उपज देने वाली धान की फसल काटी थी। इस प्रकार, वस्तुतः, प्रतिवादी की गवाही पूरी तरह से अखंडित रही। यह भी उल्लेखनीय है कि पवन अग्रवाल (प्रतिवादी साक्षी -2) से मुख्य परीक्षण में यह प्रश्न नहीं पूछा गया कि प्रतिवादी ने वादग्रस्त भूमि पर खड़ी धान की फसल काटी थी। विद्वान अधिनस्थ न्ययालय ने उपरोक्त पक्षों के साक्ष्यों का मूल्यांकन करते समय उपरोक्त तथ्य को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. इस प्रकार, पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर समग्रता से और अत्यंत सावधानी से विचार करने के बाद, मेरा यह सुविचारित मत है कि विद्वान अधिनस्थ न्ययालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष और उनके लिए दिए गए कारण पूरी तरह से गलत थे। विद्वान अधिनस्थ न्ययालय ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर सावधानीपूवर्क से विचार नहीं किया और उसने प्रतिवादी पर लगाए गए आरोपों की असंभाव्यता पर भी विचार नहीं किया। उसने इस तथ्य को भी नज़रअंदाज़ कर दिया कि प्रतिवादी का साक्ष्य पूरी तरह

से अखंडित था। यह अनुमान कि प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि से धान की फसल काटने के आरोपों के बारे में लिखित कथन या प्रतिवादी की गवाही में कोई स्पष्ट खंडन नहीं था, पूरी तरह से गलत था। पटवारी कन्हाई सिंह (वादीसाक्षी-3) की मुख्य परीक्षण भी अधिनस्थ न्ययालय के ध्यान से पूरी तरह बच गई और उसने असंभाव्यता के संतुलन को भी नज़रअंदाज़ कर दिया, जो वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की विश्वसनीयता के बारे में उसकी राय को प्रभावित कर सकता था। विद्वान अधिनस्थ न्ययालय द्वारा निर्धारित हर्जाने की राशि भी पूरी तरह से मनमानी थी।और किसी भी विश्वसनीय मौखिक साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। अतः, मेरा यह सुविचारित मत है कि विद्वान् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है और अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों तथा अभिवचन विधि के विपरीत है, अतः इसे अमान्य किया जाना चाहिए।

18. परिणामस्वरूप, यह अपील स्वीकार की जाती है। पंचम अपर जिला न्यायाधीश, रायपुर द्वारा सिविल वाद संख्या 42-ए/2003 में पारित निर्णय एवं डिक्री अपास्त की जाती है। हर्जाना वसूली का वाद व्यय सहित खारिज किया जाता है। प्रतिवादी/वादी वाद का सम्पूर्ण व्यय वहन करेगा, साथ ही इस अपील का भी। प्रमाणित होने पर अधिवक्ता की फीस ₹500 निर्धारित की गई है। तदनुसार डिक्री तैयार की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

अस्वीकरण : यह अनुवाद केवल सामान्य जानकारी और अध्ययन/संदर्भ हेतु प्रस्तुत किया गया है। मूल निर्णय की प्रमाणिकता और कानूनी मान्यता केवल मूल अंग्रेज़ी/प्रामाणिक भाषा में जारी न्यायालयीय दस्तावेज़ को ही प्राप्त है। अनुवाद में किसी प्रकार की त्रुटि, व्याख्या या अर्थ में अंतर के लिए अनुवादक उत्तरदायी नहीं होगा। कृपया किसी भी विधिक प्रक्रिया या आधिकारिक प्रयोजन हेतु मूल निर्णय का ही उपयोग करें।

फ़ौज़िया अफ़रोज़ द्वारा अनुवादित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur